# <u>उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय-लखनऊ।</u>

परिपत्र सं0-सी-29 /तक0प्रकोष्ठ/2017-18 दिनांक-29.06.2017

समस्त शाखा प्रबन्धक,
उ0प्र0 सह0ग्राम विकास बैंक लि0,
उत्तर प्रदेश।

**<u>विषयः-अति दोहित, क्रिटिकल व सेमी क्रिटिकल विकास खण्डों में ऋण वितरण के सम्बन्ध में।</u>**

बैंक के परिपत्र सं0सी-10/तक0प्रकोष्ठ/2017-18 दिनांक-24.04.2017 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा शासन के पत्र सं0-5/1373/62-1-2014-04 आर/2009 दिनांक-13.10.2014 द्वारा भूगर्भ जल संसाधनों के 31 मार्च 2011 पर आधारित आंकलन के अनुसार अति दोहित, क्रिटिकल व सेमी क्रिटिकल विकासखण्डों की सूची प्रेषित की है। जिसके अनुसार 111 विकास खण्ड अति दोहित, 68 विकास खण्ड क्रिटिकल एवं 82 विकास खण्ड सेमी क्रिटिकल श्रेंणी में हैं। जिसकी सूची पूर्व में प्रेषित की जा चुकी है। अतः अति दोहित, क्रिटिकल व सेमी क्रिटिकल विकासखण्डों में ऋण वितरण हेतु प्रधान कार्यालय को प्रस्ताव बनाकर प्रेषित करने के सम्बन्ध में बैंक की समस्त शाखाओं को निर्देशित किया गया है। परन्तु आप द्वारा कोई प्रस्ताव नहीं प्रेषित किया गया है। यदि क्षेत्र में संदर्भित योजनान्तर्गत ऋण वितरण की सम्भावनायें उपलब्ध हैं तो नियमानुसार योजना बनाकर स्वीकृति हेतु मुख्यालय प्रेषित करें।

**ह0-**
**( अजय पाल सिंह )**
**महाप्रबन्धक(तक0)**

**प्रतिलिपिः-**

1. समस्त जनपदीय शाखा प्रबन्धक, उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ कि उक्त परिपत्र की प्रति अपने जनपद की समस्त शाखाओं को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
2. उप महाप्रबन्धक(आई0टी0सेल), उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय लखनऊ को इस आशय से कि उक्त परिपत्र को प्रदेश के समस्त जनपदीय शाखा प्रबन्धकों को ई-मेल द्वारा प्रेषित कराना सुनिश्चित करें।

**ह0-**
**महाप्रबन्धक(तक0)**